	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 26, शुक्रवार, *शाके* 1947- मई 16, 2025 *Vaisakha 26, Friday, Saka 1947- May 16, 2025*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/25/ 6291 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित ग्राम पंचायत क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती हैः-

क्रं. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र।
1-	नागौर	रियांबडी	ग्राम पंचायत रियांबडी का राजस्व ग्राम रियांबडी एवं राजस्व ग्राम भगवानपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र। (जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या - 12,289)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा 2025-26 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रियांबडी, जिला नागौर के राजस्व ग्राम रियांबडी एवं भगवानपुरा की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मलित करते हुए विद्यमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका रियाबंडी की स्थानीय सीमाएं रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।